

**बिहार सरकार  
स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग**

**अधिसूचना**

पटना, दिनांक 7.11.06

सं०सं०-2/टी-42/06-2084(2) स्वा०/सम्वर्ग विभाजन के पश्चात झारखण्ड से विरगित होकर आये विकित्सा पदाधिकारियों / विभिन्न कारणों से पदस्थापन की प्रतिक्षारत विकित्सा पदाधिकारियों / विभिन्न घटनाओं के फलस्वरूप प्रशासनिक दृष्टिकोण से विकित्सा पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों में उनकी सेवाएँ सौंपी जाती है :-

क्र०सं०	विकित्सा पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापित जिला
1	डा० अशोक कुमार सिंह	झारखण्ड	कैमूर
2	डा० समीर कुमार दास	झारखण्ड	मधेपुरा
3	डा० चन्द्र भूषण प्रसाद	झारखण्ड	गया
4	डा० सतीश चन्द्र	झारखण्ड	गया
5	डा० विनोद कुमार	झारखण्ड	जमुई
6	डा० उपेन्द्र प्रसाद मंडल	झारखण्ड	पूर्णियाँ
7	डा० रवीन्द्र नाथ पाण्डेय	झारखण्ड	मधुबनी
8	डा० रविकान्त पाण्डेय	झारखण्ड	भागलपुर
9	डा० ज्ञान शंकर	झारखण्ड	वैशाली
10	डा० रामजयपाल सिंह	झारखण्ड	नालन्दा
11	डा० मोला प्रसाद	झारखण्ड	गया
12	डा० राम देव दास	झारखण्ड	पूर्णियाँ
13	डा० हरिशरण प्रसाद	झारखण्ड	मधुबनी
14	डा० आलोक प्रसाद सिन्हा	झारखण्ड	प० चम्पारण
15	डा० सुशील कुमार आजाद	झारखण्ड	सहरसा
16	डा० शिवजी प्रसाद	झारखण्ड	मधुबनी
17	डा० रणजीत कुमार जमैयार	झारखण्ड	पूर्णियाँ
18	डा० अजय कुमार	झारखण्ड (पूर्व अधिसूचित पटना )	गोजपुर
19	डा० (श्रीमती) मीरा सिंह	झारखण्ड (पूर्व अधिसूचित औरंगाबाद )	खगड़िया ।
20	डा० सुधीर कुमार सिन्हा	मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग	वैशाली
21	डा० राजनन्दन प्रसाद	मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग	मधुबनी
22	डा० (श्रीमती) नीना कुमारी	मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग	वैशाली
23	डा० शीघ्रद कुमार आरिस्तक	मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग	औरंगाबाद
24	डा० सतीश चन्द्र शर्मा	सीतामढ़ी	पटना
25	डा० कामेश्वर प्रसाद	सीतामढ़ी	पटना
26	डा० रामेश्वर प्रसाद	सीतामढ़ी	सारण
27	डा० यदुनन्द प्रसाद सिंह	औरंगाबाद	जहानाबाद
28	डा० शंभु प्रसाद	शिवहर	सीतामढ़ी
29	डा० रमेश प्रताप शाही	समस्तीपुर	सीतामढ़ी

2. जिन चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाओं जिलों को सौंपी गयी है उनका पदस्थापन उस जिला में प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेंगी।
3. अधिसूचना की तिथि से प्रतीक्षारत चिकित्सा पदाधिकारी स्वतः विरमित समझे जायेंगे।
4. पदस्थापन की प्रतीक्षा की अवधि को विनियमन का प्रस्ताव इनके योगदान के तुरत बाद नियंत्री पदाधिकारी नियमानुसार क्षेत्रीय उपनिदेशक/प्रमण्डलीय आयुक्त / स्वास्थ्य विभाग को समेकित रूप से तुरत भेजेंगे, जिसे कि इनके पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि को विनियमित करने में विलम्ब नहीं हो।
5. सभी प्रतीक्षारत चिकित्सा पदाधिकारी विरमित होकर संबंधित जिलों के सिविल सर्जन के समक्ष तुरत योगदान देंगे।
6. निलम्बन/ न्यायालय के अन्यथा आदेश की रिश्ति में संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विपिन कुमार सिन्हा)  
सरकार के उप सचिव

झापांक - 2/टी-42/06- 2084(2)

पटना, दिनांक 7-11-06

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / वित्त (दोटा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सचिव, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ सभी संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविध्यालय अस्पताल/ निदेशक, मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ महानिरीक्षक, अभियोजन, बिहार, पटना/ सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - मंत्री, स्वास्थ्य एवं प0क0 के आपस सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य एवं प0क0 के सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ संयुक्त सचिव के निजी सहायक/ उप सचिव के निजी सहायक/ विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी 2,3 एवं 9/ कम्यूटर कोषाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव